

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 142

सोमवार, 27 मार्च, 2017/6 चैत्र, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

2.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. प्रश्नोत्तर:

(i) तारांकित प्रश्न:

तारांकित प्रश्न संख्या 3899 से 3910 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 3935 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्न:

अतारांकित प्रश्न संख्या 1657 से 1680 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने सोमवार 27 मार्च, 2017 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. कागजात सभा पटल पर:

(1) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

- (i) अकादमी की संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 तथा वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15;
- (ii) नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16; और
- (iii) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: टी0एस0एम0एफ0(1)-3/2013-॥ दिनांक 27.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.03.2017 को प्रकाशित।

(2) श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

- (i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 27(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पांचवा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित);

- (ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16;
- (iii) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16;
- (iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, रीलिंग डेमेंस्ट्रेटर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II (बी)2-1/2012 दिनांक 3.6.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.07.2016 को प्रकाशित;
- (v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, माली/बेलदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II (बी)2-3/2016 दिनांक 24.01.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2017 को प्रकाशित; और
- (vi) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 15(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ज़िला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-बी-एफ-(6)-31/2016-Vol-I दिनांक 22.08.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.08.2016 को प्रकाशित।

#### 4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

- (1) श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

- (i) समिति का **171वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति के **172वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है; और
- (iii) समिति के **173वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है।
- (2) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **35वां प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:31 जनजातीय विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।
- (3) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-
- (i) समिति का **31वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:6 के अन्तर्गत **आबकारी एवं कराधान विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और
- (ii) समिति का **32वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या: 7 के अन्तर्गत **गृह विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

- (4) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-
- (i) समिति का **24वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या: 24 के अन्तर्गत **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और
  - (ii) समिति का **25वां प्रतिवेदन** (बारहवां विधान सभा) जोकि मांग संख्या: 30 के अन्तर्गत **खेल एवं युवा सेवाएं विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।
- (5) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **21वां प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या: 13 के अन्तर्गत **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।
- (6) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-
- (i) समिति का **27वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
  - (ii) समिति का **28वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या: 16 के अन्तर्गत **वन विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

5. **वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।**

सदन का समय बचाने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से बजट अनुमान वर्ष 2017-18 की सभी मांगें प्रस्तुत हुई समझी गईं।

**मांग संख्या : 7-पुलिस और सम्बद्ध संगठन**

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या: 7-पुलिस और सम्बद्ध संगठन के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 11,11,98,66,000/- और 45,35,00,000/- रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्या: 7 पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, डा0 राजीव बिन्दल, रिखी राम कौंडल, जय राम ठाकुर, बलदेव सिंह तोमर और वीरेन्द्र कंवर की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

- 1.) श्री महेन्द्र सिंह
- 2.) श्री सुरेश भारद्वाज
- 3.) डा0 राजीव बिन्दल
- 4.) श्री रिखी राम कौंडल
- 5.) श्री जय राम ठाकुर
- 6.) श्री बलदेव सिंह तोमर
- 7.) श्री वीरेन्द्र कंवर
- 8.) श्री गोविन्द सिंह ठाकुर

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

## मांग संख्या : 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या: 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 16,01,65,30,000/- और 67,28,00,000/- रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्या: 9 पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, महेश्वर सिंह, जय राम ठाकुर, बलदेव सिंह तोमर, गोविन्द राम शर्मा और श्री कृष्ण लाल ठाकुर की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

- 1.) श्री महेन्द्र सिंह
- 2.) श्री महेश्वर सिंह
- 3.) श्री सुरेश भारद्वाज
- 4.) श्री जय राम ठाकुर
- 5.) डा० राजीव बिन्दल
- 6.) श्री बलदेव सिंह तोमर
- 7.) श्री गोविन्द राम शर्मा

मांग संख्या-9 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर पक्ष की तरफ से निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

- 1.) श्री कुलदीप कुमार
- 2.) श्री किशोरी लाल

(सांय 6.46 बजे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह कहते हुए कि बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों पर केवल विपक्ष ही चर्चा में भाग ले सकता है, सदन से वॉक आउट किया)

माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष द्वारा किए गए वॉक आउट पर निम्नलिखित निर्णय दिया:-

(According to the convention, every member of this House can speak on the Demands for grants of Budget Estimates. पक्ष की तरफ से बोलने के लिए 5 माननीय सदस्यों के नाम सूची में थे जिनमें से 2 सदस्यों को ही बोलने के लिए एलॉ किया गया है। इसलिए विपक्ष का वॉक आउट आधारहीन है।)

3.) श्री राम कुमार

(श्री राम कुमार के भाषण के दौरान सांय 7.00 बजे सदन की बैठक सांय 7.05 बजे तक बढ़ाई गई।)

(सांय 7.03 बजे सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई )